

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

—::कार्यालय आदेश::—

क्रमांक परीक्षा द्वितीय / संस्थापन / 2006 / 303

दिनांक 16-12-04

बोर्ड बैठक दिनांक 24, 25 सितम्बर, 2004 के प्रस्ताव संख्या-3 के क्रम में बोर्ड कार्यालय आदेश दिनांक 12.12.04 की अनुपालना में कार्यालय आदेश परीक्षा प्रथम / सैल-8 / 32 दिनांक 14.12.2004 व क्रमांक - परीक्षा -द्वितीय / संस्थान / 2005 / 297 दिनांक 20.12.05 के क्रम में अब कार्यालय द्वारा दिनांक 30.11.2006 के पश्चात् वर्ष 1966 की परीक्षाओं के प्रतिलिपि प्रलेख जारी नहीं किये जायेंगे। परीक्षा-द्वितीय शाखा उक्त वर्ष के टी.आर./रिकॉर्ड (कोर्ट स्टे वाले टी.आर./रिकार्ड को छोड़कर) को नष्ट करने की कार्यवाही करें।


सचिव

प्रतिलिपि-

1. समस्त अधिकारी
2. समस्त अनुभाग अधिकारी
3. बोर्ड सूचना पट्ट

विशेषाधिकारी (परीक्षा-द्वितीय)